राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

दिनांक :– 11/7/17

क्रमांक :–मुसप्र/2017/358

कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर में दायर एकल पीठ सिविल रिट याचिका संख्या 1494/2015 दीनदयाल गुप्ता बनाम् स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.05.2017 एवं अन्य याचिकाओं में पारित निर्णयों के सम्बन्ध में मण्डल की प्री–लिटिगेशन समिति की बैठक दिनांक 15.06.2017 का जारी कार्यवाही विवरण क्रमांक 596 दिनांक 27.06.2017 के बिन्दु संख्या 3 पर लिए गए निर्णयानुसार विभिन्न वृत्त/खण्ड कार्यालयों के निरस्त 431 पंजीकरणों के सम्बन्ध में आवासन आयुक्त को प्रस्तुत अभ्यावेदन निर्णित करने बाबत निम्न तीन सदस्यीय सलाहकार समिति गठित की जाती है:–

1. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक
2. वित्तीय सलाहकार
3. अतिरिक्त मुख्य अभियंता–प्रथम

आवासन आयुक्त को प्राप्त प्रत्येक अभ्यावेदन का उपरोक्त तीन सदस्यीय सलाहकार समिति द्वारा अवलोकन करने के पश्चात् आवासन आयुक्त को अपने सुझाव शीघ्र प्रस्तुत करेगी। सम्बन्धित उप आवासन आयुक्त प्रत्येक प्रकरण का गुण–अवगुण पर परीक्षण कर, अपनी टिप्पणी अंकित करते हुए मूल पत्रावली मुख्य सम्पदा प्रबन्धक को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगे।

(डॉ0 कुंज बिहारी गुप्ता)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता–प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियंता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राज. आवासन मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
4. निदेशक (विधि)/मुख्य सम्पदा प्रबन्धक/वित्तीय सलाहकार, राज.आवासन मण्डल, जयपुर।
5. सम्बन्धित उप आवासन आयुक्त, वृत्त................. राज. आवासन मण्डल,.............................।
5. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड करें।
6. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक